कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायसेन, (म0प्र0)

//ज्ञापन //

क्रमांक: 545/दो–12–12/78(कैंटीननिलामी), रायसेन,दिनांक 27/03/2018

प्रति,

संचालक,
जनसंपर्क संचालनालय,
मध्यप्रदेश, भोपाल

विषय:– वर्ष 2018–19 के लिये कैंटीन ठेके की नीलामी विज्ञप्ति प्रकाशन बावत ।

–00–

उपरोक्त विषयांतर्गत यथा निर्देशानुसार लेख है कि, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायसेन के तहसील न्यायालय बरेली परिसर मे स्थित कैंटीन को वर्ष 2018–19 की नीलामी हेतु विज्ञप्ति का प्रकाशन किया जाना है ।

अतः एक स्थानीय तथा राष्टीकृत दैनिक समाचार पत्र मे प्रकाशित करने हेतु नीलामी विज्ञप्ति प्रारूप 06 प्रतियो मे संलग्न प्रेषित है, कृपया समयावधि मे प्रकाशन उपरांत समाचार पत्रो की एक प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करे ।

सहपत्र– उपरोक्तानुसार ।

वास्ते– जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायसेन (म0प्र0)

क्रमांक: 548/दो–12–12/78(कैंटीननिलामी), रायसेन,दिनांक 27/03/2018

यथा निर्देश प्रतिलिपि:–

1– जिला जनसंपर्क अधिकारी, रायसेन संलग्न नीलामी विज्ञप्ति स्थानीय समाचार पत्र मे समयावधि मे प्रकाशित कराने का कष्ट करे तथा संबंधित समाचार पत्र की एक प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करे ।

2– प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग, रायसेन की ओर यथा निर्देश विशेष वाहक के माध्यम से संबंधित कार्यालय को नीलामी विज्ञप्ति, ज्ञापन सहित भेजे जाने की कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

3– सिस्टम ऑफिसर, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायालय रायसेन की ओर प्रेषित कर यथा निर्देश लेख है कि निलामी विज्ञप्ति को माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर की संबंधित बेबसाईट पर अपलोड करने की कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

4– लेखापाल जिला मुख्यालय रायसेन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

वास्ते– जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायसेन (म0प्र0)

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायसेन (म.प्र.)

:: नीलामी विज्ञप्ति ::

कमांकः540/दो–12–12/78(कॅटीननिलामी), रायसेन,दिनांक 27/03/2018

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि तहसील न्यायालय परिसर बरेली मे अस्थाई कॅटीन के संचालन हेतु वर्ष 2018–19 के लिए ठेका दिया जाना है । अतएव इच्छुक व्यक्ति जो ठेका लेना चाहते हों वे इस कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश नजारत अनुभाग रायसेन मे विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस के अंदर कार्यालय समय मे उपस्थित होकर निम्न शर्तो का पालन करते हुये अपनी निविदा सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत कर सकते हैं ।

:: शर्ते ::

1– निविदा स्वीकृत होने पर निर्धारित प्रारूप के अनुसार एग्रीमेंट स्टाम्प पर तीन दिन के अंदर देना होगा ।

2– कॅटीन के लिए भूमि न्यायालय प्रांगण में 23 गुणा 30 फीट के आधार की दी जायेगी ।

3– ठेके की अवधि निविदा स्वीकृति दिनांक से 31.3.2019 तक होगी ।

4– कॅटीन में सफाई आदि न होने पर खादय सामग्री में किसी प्रकार की खराबी तथा अधिसूचित मूल्य सूची से अधिक की राशि ग्राहक से लिये जाने की सूचना प्राप्त होने पर पर आपकी निविदा निरस्त कर सम्पूर्ण राशि राजसात की जावेगी ।

5– प्राप्त निविदा में जो निवदा अधिकतम होगी उसे स्वीकृत किया जावेगा तथा स्वीकृत निविदा की राशि एकमुश्त अदा करनी होगी ।

6– कॅटीन में जो खादय सामग्री विक्रय के लिए होगी उसका मूल्य बाजार मूल्य से अधिक नहीं होगा।

7– ठेके की अवधि किसी भी कारण से किसी भी समय समाप्त की जा सकती है ।

8– निविदा प्रस्तुत करने वाले ठेकेदार को रूपये 500/– (पॉच सौ रूपये मात्र) नगद नजारत अनुविभाग में जमानत के रूप में जमा करना होंगे । निविदा स्वीकृत होने के पश्चात उस राशि की वापसी होगी, जिस व्यक्ति की निविदा स्वीकृत होगी यदि वह ठेका लेने से इन्कार करेगा तो उसकी जमानत की राशि राजसात कर ली जावेगी । बिना जमानत राशि जमा किये गये निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा ।

9– निविदा विज्ञापन प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस के अंदर बन्द लिफाफे में कार्यालयीन समय में शाम 4.00. बजे तक जिला नाजिर द्वारा प्राप्त किये जावेंगी। इसके पश्चात प्राप्त निविदा विचार योग्य नहीं होंगे ।

10– कॅटीन संचालन हेतु वर्ष 2018–19 के लिए स्वीकृत निविदा के निविदाकर्ता का यह भी कर्तव्य होगा कि वह कॅटीन की साफ सफाई रखेगा । आज दिनांक 27/3/18 को मेरे हस्ताक्षर से यह नीलामी विज्ञप्ति जारी की गई ।

(विमल प्रकाश शुक्ला)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायसेन

पृष्ठां.क.0/ 543/दो–12–12/78(कॅटीननिलामी), रायसेन,दिनांक 27/03/2018

यथा निर्देश प्रतिलिपि :–

1– प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग न्यायालय रायसेन की ओर संलग्न प्रेषित कर निवेदन है कि विज्ञप्ति सार्वजनिक स्थल बसस्टेंण्ड, न्यायालय के सूचना पटल, कार्यालय जिलाध्यक्ष एवं सार्वजनिक स्थल पर चस्पांगी हेतु जिला नाजिर को निर्देशित करने का कष्ट करें।

2– जिला जनसंपर्क अधिकारी रायसेन संलग्न विज्ञप्ति स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित कराने का कष्ट करें तथा संबंधित समाचार पत्र की एक प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें ।

3– सिस्टम ऑफिसर, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायालय रायसेन की ओर प्रेषित कर यथा निर्देश लेख है कि निलामी विज्ञप्ति को माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर की संबंधित बेबसाईट पर अपलोड कर कार्यालय को सूचित करे ।

4– लेखापाल/देयक लिपिक जिला मुख्यालय रायसेन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

वास्ते– जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायसेन